IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

प्राचीन भारतीय दण्ड न्याय प्रशासन विधि

डॉ. ऋषिकुमार द्विवेदी
प्राचार्य, स्वामी नीलकंठ विधि महाविद्यालय, मैहर, जिला–सतना (म.प्र.)

शोध सारांशः

प्राचीन भारतीय दण्ड न्याय प्रशासन विधि का देवभाषा संस्कृत की शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू कर न्याय विधि स्नातक पाठ्यक्रमों संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रचार–प्रसार हो साथ ही साथ इस न्यायिक विभाग में होने वाले न्याय विधि गतिविधियों में योग्य व्यक्तियों के पदस्थापना होने पर समाज से वंचितों को न्यायिक विधि संगत न्याय करने की दिशा में अग्रसर होकर समाज को लाभान्वित करने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। इन्हीं बिन्दुओं को इस शोध पत्र में प्रस्तुत करने का अभिवन प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्दः प्राचीन, भारतीय, दण्ड, न्याय, प्रशासन, विधि, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक इत्यादि।

प्रस्तावना एवं उद्देश्य

किसी के साथ अन्याय न हो पीड़ित को तत्काल न्याय सुलभ हों बलवान निर्बल को कदाचित् न सता सके। जीव–जन्तु, पशु–पक्षी भी सुखपूर्वक रह सकें। शुद्ध वायु, जल, अन्न प्राणि मात्र को प्राप्त हो। राज्य का प्रधान दायित्व न्याय रक्षा हो। राज्य का संचालन मण्डल अर्थात् सांसद, विधायक की आचरण संहिता निर्धारित हो, उसका उल्लंघन करने पर कठोरतम दण्ड की व्यवस्था हो तभी भारतीय नागरिकों का जीवन सुख एवं शान्तिमय हो सकेगा। **"सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वेसन्तु निरामयः, सर्वेभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्दुख भाग्भवेत्।** यही इस शोध कार्य का मूल उद्देश्य है।

शोध कार्य की पृष्ठभूमि

राज्य के नौकरशाह तथा विधायिका के भ्रष्ट एवं राष्ट्रघातक कृत्यों, तथा वर्तमान दण्ड न्याय प्रशासन की पंगुता, झूठे मुकदमें, राजस्व न्यायालयों की दुर्दशा एवं आम नागरिक का राज्य के न्याय व्यवस्था से टूटता विश्वास वंचितों को न्याय पर भरोसा बना रहे, इसलिए इस शोध के माध्यम से आम नागरिकों में व्याप्त भय न्याय को लेकर बना है, उस भय को जागरुकता में बदला जाय साथ ही साथ अपनी वकालत को गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी बना सकूँ, लोक एवं पर्यावरण रक्षा में पीड़ित की पीड़ा के शमन में कार्य कर सकूँ यही इस शोध कार्य की पृष्ठभूमि है।

दण्ड न्याय विधि का अन्तिम लक्ष्य

न मे स्तेनो जनपदेः न कदर्यो न मद्यपः नानाहिताग्निर्नाविद्वान्।

न स्वैरी – स्वैरिणी कुतः ?..... महाराजा अश्वपति की घोषणा

भारतीय न्याय प्रमुख राजा अश्वपति के राज्य में घोषणा की गई थी कि मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है, कोई कृपण नहीं है, कोई शराबी नहीं है कोई दूसरे का अहित करने वाला नहीं है, कोई अविद्वान् (अनपढ़) नहीं है कोई दुराचारी नहीं है तो दुराचारिणी हो ही नहीं सकती।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

यह था भारतीय प्राचीन दण्ड न्याय प्रशासन का प्रधान लक्ष्य। जिसकी पुनः स्थापना ही दण्ड न्याय विधि का अन्तिम लक्ष्य है।

वेदों में दण्ड न्याय विधि

अपौरुषेय वेद वाणी जो ऋषियों द्वारा सृष्टि की आदि में सृष्टिकर्ता द्वारा श्रुति के रूप में आदि ऋषि अग्नि–आदित्य वायु एवं अंगिरा द्वारा श्रवणकर आगे सुनायी गयी, जो आज तक सुरक्षित है जिसमें परमेश्वर ने समस्त ज्ञान–विज्ञान, आयुर्वेद एवं राजधर्म तथा न्याय व्यवस्था मंत्ररूप में अर्थात् सूत्ररूप में सारे संसार के कल्याण के लिये प्रदान कर दी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद में समस्त मानवजाति एवं प्राणिजगत के कल्याण के लिये राजधर्म के अन्तर्गत ''प्रजाः पाहि'' (यजु. 7–17) हे राजन् ! तुम प्रजा की रक्षा करो। ''तव व्रते सोम तिष्ठन्तु कृष्टयः'' (सामवेद–957) हे राजा ! प्रजा तेरे नियमों में रहे। ''वस्वीरनु स्वराज्यम्'' (सामवेद 1006) स्वराज्य समृद्धि की ओर ले जाता है। ''अभयानि कृण्वन्'' (यजु–11–15) तुम सबको निर्भय करो।

''वयं प्रजापतेः प्रजा अभूम'' (यजु. 18.29) सब जगत् का राजा एक परमेश्वर ही है और सब संसार उसकी प्रजा है।

त्रीणि राजाना, विदथे पुरूणि परिविश्वानि भूषथः वदांसि। [1]

'प्रकाशन्याययुक्तौ व्यवहारौ''

प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठानि राष्ट्रे प्रत्यश्चेषु प्रतिष्ठानिगोषु।[2]

जो मनुष्य इस प्रकारके उत्तम पुरुषों की सभा से न्यायपूर्वक राज्य करते हैं उनके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि हे मनुष्यों तुम लोग धर्मात्मा होके न्याय से राज्य करो।

इमे वीरमनु हर्षध्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रमध्वम्।[3]

ईश्वर सब मनुष्यों को उपदेश करता है कि हे बन्धु लोगों! हे शूरवीर लोगों! न्याय और दृढ़भक्ति से अनन्त बलवान् परमेश्वर को इष्ट करके शूरवीर लोगों को सदा आनन्द में रखो।

सभ्यं सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभा सदः।[4]

हे सभा के योग्य परमेश्वर आप हम लोगों की राजसभा की रक्षा कीजिये। हम लोग अच्छे प्रकार से सत्य न्याय की रक्षा करें।

राजपुरुषैर्दुष्टेषूगो दण्डो निवातनीय धर्मस्य स्वरूपं भवति।[5]

दुष्टों पर क्रुद्ध स्वभाव और श्रेष्ठों पर सहनशील होना यही राज्य का स्वरूप है।

दर्शन एवं स्मृति ग्रन्थों में दण्ड न्याय विधि

पतंजलि मुनिकृत योग दर्शन, कपिल मुनिकृत सांख्य दर्शन, गौतम मुनिकृत न्याय दर्शन, कणादमुनिकृत वैशेषिक दर्शन, जैमिनि मुनिकृत मीमांसा दर्शन, व्यास मुनिकृत वेदान्त दर्शन, कुल छः दर्शन ग्रन्थ हैं जिनके अध्ययन से सत्यान्वेषण की भौतिक अध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है।

आपराधिक दण्ड न्याय प्रशासन में सत्यान्वेषण की दार्शनिक दृष्टि नितांत आवश्यक है। लोभी, पक्षपाती, नास्तिक, ईश्वराज्ञा के विपरीत निर्णय देने वाले अज्ञान–अविद्या से ग्रस्त वर्तमान न्यायाधीश पदों को कलंकित करने वालों से दण्ड न्याय प्रशासन को महती हानि हो रही है।

गौतम मुनिकृत न्याय दर्शन में प्रमाण, वाद, तत्वज्ञान, तर्क, छल, मिथ्याज्ञान, प्रमाणफल, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, युक्ति प्रमाणों का विवेचन, संशय परीक्षा, निर्णय आदि शब्दों का तात्विक विवेचना है जिसका ज्ञान न्याय प्रशासन से जुड़े व्यक्तियों का होना नितांत आवश्यक है।

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

सूत्र :–

प्रमाणतो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यादर्थवत्प्रमाणम्।[6]

प्रत्यक्षानुमानोपमान शब्दाः प्रमाणानि। [7]

आप्तोपदेशः शब्दः। [8]

साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा।[9]

व्याहत्वादहेतुः ।[10]

वचन विधातो अर्थ विकल्पोपपत्या छलम्।[11]

समानानेक धर्मा अध्यवसायादन्यतरधर्मा ध्यावसायाद्वा न संशयः। [12]

विमृव्य पक्ष प्रतिवक्षाभ्यां अथावधारणं निर्णयः।[13]

स्मृति ग्रन्थों में मनु स्मृति का विशेष स्थान है।

स्मृतियाँः

मनु स्मृति, नरदीय मनु स्मृति अत्रिस्मृति, अत्रिसंहिता, प्रथम विष्णु स्मृति, विष्णु स्मृति, संवर्त स्मृति दक्ष स्मृति आंगिरस स्मृति, शातातप स्मृति, पारासर स्मृति, वृहत् पारासर स्मृति, लघु हारीत स्मृति, वृद्धहारीत स्मृति, लघु शंख स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, शंख लिखित स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, औशनस स्मृति, औशनस संहिता, वृहस्पति स्मृति, लघु व्यास संहिता, वेदव्यास स्मृति, देवल स्मृति, प्रजापति स्मृति, लघु अश्वालायन स्मृति, बौधायन स्मृति, गौतम स्मृति, वृद्ध गौतम स्मृति, यम स्मृति, लघु यम स्मृति, वृहद् यम स्मृति, अरुण स्मृति, पुलस्त्व स्मृति, बुध स्मृति, द्वितीय वशिष्ठ स्मृति, वृहद्योगि याज्ञवल्यवय स्मृति, ब्रह्मोक्त याज्ञवल्यक्य स्मृति, काश्यप स्मृति, व्याघ्रपाद स्मृति, कुल 44 स्मृतियाँ।

मनुस्मृति की सर्वोत्तमता :–

वेदार्थोपिनबद्वत्वात् प्राधान्यम् हि मनो स्मृतम्।

मन्वर्थ विपरीता या तु या स्मृतिः सा न शस्यते।।

तावत् शास्त्राणि शोभन्ते, तर्क व्याकरणाभि च।

धर्मार्थ मोक्षोपदेष्टा मनुर्यावन्म दृश्यते।।[14]

मनु स्मृति एक विधि विधानात्मक ग्रन्थ है। मनुष्य अपने समाज में नैतिक कर्तव्यों का पालन करता हुआ श्रेष्ठ समाज का निर्माण कर स्वयं मोक्ष की ओर कैसे गति प्राप्त कर सकता है इस विषय को मनुस्मृति द्वारा प्रतिपादित किया गया है। यह ग्रन्थ आदिकाल से संविधान था।

महर्षि यास्क ने निरुक्त में दायभाग में पुत्र और पुत्री के समान अधिकार के विषय में किसी प्राचीन ग्रन्थ के श्लोक को उद्घृत करके महर्षि मनु के मत का उल्लेख किया है (निरुक्त 3/4) मनु का यह ससमानाधिकार सम्बन्धी मत प्रचलित मनु स्मृति के 9/130, 192, 212 श्लोकों में वर्णित है।

नारी जाति की श्रेष्ठता–

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तुं न पूज्यन्ते सर्वास्तात्राफला क्रियाः। [15]

न्याय प्रक्रिया में नारी की प्रतिभागिता –

स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः।[16]

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

नारी के दायभाग का अधिकारः

स्वेभ्योऽशेभ्यन्तु कन्या भूतः प्रदद्युर्भातरः पृथक्।
स्वात् स्वागं शच्चतुर्भागं पतिताः स्युरदिव्स्वः।।[17]

मनुस्मृति में स्त्रीधन के प्रकारः

अध्याग्न्य ध्या वाह्वनिकं दत्र च प्रीतिकर्मीण।
भ्रातृ मातृ पितृ प्राप्तं षड्विधं स्त्रीधनम् स्मृतम्।।[18]

1. विवाह के समय प्राप्त धन
2. विवाह के समय प्राप्त उपहार
3. प्रेम वश प्राप्त उपहार
4. भाई से प्राप्त धन
5. माता सेप्राप्त धन
6. पिता से प्राप्त धन

मनु ने स्त्री को पिता की सम्पत्ति में अप्रत्यक्ष रूप से माता की सम्पत्ति में प्रत्यक्ष रूप से अधिकारी बनाया है। यद्यपि मनु पिता की सम्पत्ति में प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रावधान नहीं करते परन्तु अन्य प्रकार से अविवाहित पुत्री को पिता की सम्पत्ति मिलने का प्रावधान करते हैं। पिता की सम्पत्ति का बटवारा करने वाले पुत्र अपने भाग में से चतुर्थ भाग अविवाहित बहन को दें।

अन्यत्र मनु पुत्र एवं पुत्री को समान बाताते हुये विधान करते हैं कि पुत्र के अभाव में पुत्री के होने पर कोई अन्य व्यक्ति पिता के धन का हरण नहीं कर सकता। यथा–

यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समाः।
तस्यामात्मनि तिष्ठयन्त्यां कथमन्यो हरेत् धनम्।। [19]

निष्कर्षतः

यह कहा जा सकता है कि देवभाषा संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए ताकि न्याय विधि स्नातक पाठ्यक्रमों संस्कृत भाषा के ज्ञान का प्रचार–प्रसार हो साथ ही साथ इस न्यायिक विभाग में होने वाले न्याय विधि गतिविधियों में योग्य व्यक्तियों के पदस्थापना होने पर समाज से वंचितों को न्यायिक विधि संगत न्याय करने की दिशा में अग्रसर होकर समाज को लाभान्वित करने की कोशिश होनी चाहिए।

संदर्भ स्रोतः

[1]. ऋ.अ. , अ.2, अ. 24, मं. 1
[2]. यजु. अ.20, मं. 10
[3]. अथर्व. का. 6 अनु. 10 व 97 मं.3
[4]. अथर्व0 का. 19/अनु. 7 व 15 मं.6
[5]. दयानन्द ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका
[6]. न्याय दर्शन अ. 1 सूत्र–3
[7]. न्याय दर्शन अ.1 सूत्र–3

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
Volume 3, Issue 2, February 2023
Impact Factor: 7.301

[8]. न्याय दर्शन अ.1 सू.–7

[9]. न्याय दर्शन अ.1 सू.–33

[10]. न्याय दर्शन अ.1, अ.2 सू.–29

[11]. न्याय दर्शन अ.1 आन्हिक–2 सू.–10

[12]. न्याय दर्शन अ.2 आन्हिक–1 सू.–1

[13]. न्याय दर्शन अ.1 आन्हिक–1 सू.–41

[14]. वृहस्पति स्मृति संस्गर खण्ड 13/14

[15]. मनु – 3/56

[16]. मनुस्मृति – 9/68

[17]. मनुस्मृति 9/118

[18]. मनुस्मृति 8/350

[19]. मनुस्मृति /9/130